भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. **576/3**/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-II/**2017** दिनांक**: 14** दिसंबर, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. अरूणाचल प्रदेश
2. तमिलनाडु
3. उत्तर प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल

विषय : **राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन,** 2017-**इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों एवं वीवीपीएटी का प्रयोग।**

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **61**क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक **14** दिसंबर, 2017 के निदेश सं. **576/3**/ईवीएम/ ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-II/**2017** को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें **अरूणाचल प्रदेश के 12-पक्के-कसांग (अ.ज.जा.) एवं 28-लीकाबाली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तथा पश्चिम बंगाल के 226-साबंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें **दिनांक 27.11.2017 को अधिसूचित** लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चालू उप-निर्वाचनों, में मतों का डालना एवं रिकार्ड करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी मतदान मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर लगाया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **49**क, **49**ख, **49**त और **49**न**(2)** की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस सम्बंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण **2014** के अध्याय-X। 'वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र' में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए।

3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4. आयोग के उपर्युक्त निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया जाए।

5. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है, तथा समय-समय पर विषय जारी अन्य पूरक अनुदेशों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

6. कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-
(लता त्रिपाठी)
अवर सचिव